भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 734

उत्तर देने की तारीख : 07.02.2023

सामाजिक न्याय प्रदान करना

734. श्री अजय कुमार मंडल:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री चन्देश्वर प्रसाद:
श्री महाबली सिंह:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्रीमती रमा देवी:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से बिहार और इसके सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और औरंगाबाद जिलों सहित महाराष्ट्र के अमरावती जिले, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले और हरियाणा के सोनीपत जिले में सामाजिक न्याय प्रदान करने में सुधार हेतु आवंटित और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा अपनी स्कीमों, योजनाओं और कार्यक्रमों की उपयोगिता जानने के लिए कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मुख्य ध्यान समाज के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सर्वाधिक गरीब परिवारों सहित अनुसूचित जातियों जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के पीड़ितों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त तथा घुमंतू जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)

(ईडब्ल्यूएस) के कल्याण पर केन्द्रित है। यह विभाग उनके कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। आवंटित/उपयोग की गई निधियों का स्कीम-वार ब्यौरा **अनुबंध** के अनुसार है।

(ख) और (ग): सरकार स्कीमों के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला प्राधिकारियों, कार्यक्रम निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण, बहु-विषयक राज्य स्तरीय अनुदान सहायता समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच, संपरीक्षित लेखा विवरण तथा उपयोग प्रमाण पत्र की अनिवार्य प्रस्तुति तथा राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर बैठकों के माध्यम से आवधिक समीक्षा तथा क्षेत्रीय दौरा करने जैसे कदम उठाती है। विभाग तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा भी करता है।

लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 734 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए स्कीम-वार आवंटित तथा उपयोग की गई निधियां और व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	आवंटित निधियां 2019-20	उपयोग/व्यय 2019-20	आवंटित निधियां 2020-21	उपयोग/व्यय 2020-21
1	एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2926.82	2711.31	2987.33	4010.16
2	एससी और ओबीसी के लिए नि:शुल्क कोचिंग	30.00	13.26	30.00	11.97
3	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	390.00	717.96	700.00	216.52
4	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण	530.00	619.64	550.00	593.39
5	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	107.76	25.00	30.00	56.40
6	एससी हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	70.00	67.17	100.00	55.81
7	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	5.00	29.40	25.00	26.81
8	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	30.00	20.00	50.00	15.86
9	अनुसूचित जाति के छात्रों की मेरिट का उन्नयन	0.01	0.00	0.00	0.00
10	अनुसूचित जाति उप योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता	1100.00	1114.73	1200.00	387.00
11	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	360.00	246.66	300.00	119.00
12	स्कैवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास की स्वरोजगार स्कीम	110.00	84.80	110.00	16.60
13	अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	20.00	32.76	20.00	33.09
14	अनुसूचित जाति हेतु उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	40.50	39.70	40.00	52.88
15	एससी हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	355.00	352.70	700.00	569.52
16	विश्वास योजना एससी घटक	0.00		0.00	10.00
17	एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड	60.00	160.00	65.00	30.00
18	एससी हेतु क्रेडिट गारंटी फंड	0.01	0.00	1.00	0.00
19	प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न (एससी घटक)	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मद्यपान और नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए स्कीम	130.00	108.93	0.00	0.00
21	अनुसंधान अध्ययन एवं प्रकाशन	5.00	3.07	0.00	0.00
22	सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ	45.00	10.93	20.00	2.78
23	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए वीओ को सहायता	3.00	3.00	4.00	3.00
24	वरिष्ठ नागरिक एकीकृत कार्यक्रम	90.10	107.30	0.00	0.00
25	वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय कार्य योजना	40.00	31.50	200.00	130.31
26	नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मादक पदार्थों के दुरूपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण	0.99	0.00	0.00	0.00
27	नशीली दवाओं की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना	135.00	134.89	260.00	149.43
28	भिक्षावृति में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम	5.00	21.14	100.00	0.00
29	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु स्कीम	5.00	4.50	10.00	0.00
30	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	0.01		1.00	26.50
31	ओबीसी हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति	220.00	201.42	250.00	165.85
32	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता	30.00	34.00	50.00	47.29
33	ओबीसी के बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावास	30.00	21.29	50.00	31.59
34	ओबीसी हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	1360.00	1299.19	1415.00	1159.59
35	विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु स्कीम	10.00	9.00	10.00	9.00
36	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	23.00	13.99	25.00	25.00
37	ओबीसी के समुद्रपारीय अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी	15.00	26.09	35.00	32.61
38	ओबीसी और ईबीसी हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप	70.00	52.50	120.00	33.00
39	विश्वास योजना ओबीसी घटक	0.00		0.00	10.00
40	पिछड़ा वर्ग हेतु वेंचर कैपिटल फंड	50.00	90.00	60.00	0.00
41	प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न (ओबीसी घटक)	0.00	0.00	0.00	0.00
	विभाग की सभी स्कीमों का कुल	**8402.20**	**8407.83**	**9518.33**	**8030.96**

ख. वर्ष 2021-22 के लिए स्कीम-वार आवंटित तथा उपयोग की गई निधियां और व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/ स्कीम	आवंटित निधियां 2021-22	उपयोग/व्यय 2021-22
1	एससी हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3415.62	1978.56
2	**श्रेयस स्कीम** **(राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, उत्कर्ष श्रेणी शिक्षा, नि:शुल्क कोचिंग)**	-	
	अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप	300.00	122.44
	अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	30.00	49.07
	अनुसूचित जाति हेतु उत्कर्ष श्रेणी शिक्षा	70.00	84.72
	अनुसूचित जाति हेतु नि:शुल्क कोचिंग	50.00	14.98
3	पीएम अजय	1800.00	1820.32
4	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण	600.00	610.11
5	लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठा)	200.00	38.04
6	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	25.00	0.00
7	स्कैवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास स्वरोजगार स्कीम	100.00	39.00
8	एससी और अन्यों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	725.00	570.39
9	विश्वास योजना (एससी)	100.00	0.00
10	एससी हेतु वेंचर कैपिटल फंड	100.00	70.00
11	पीएम दक्ष योजना एससी घटक	60.00	33.21
12	**अटल वयो अभ्युदय योजना**	300.00	96.54
13	नशीली दवाओं की कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00	90.93
14	आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों हेतु सहायता **(स्माइल)**		
	भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास	50.00	0.05
	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास	20.00	1.91
15	**पीएम यशस्वी (ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी)**		
	ओबीसी/ईबीसी हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1300.00	1319.96
	ओबीसी हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	250.00	218.46
	ओबीसी के बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावास	30.00	18.76
16	**श्रेयस (ओबीसी)**		
	ओबीसी हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप	100.00	55.55
	ओबीसी के समुद्रपारीय अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी	30.00	26.70
17	विश्वास योजना ओबीसी	50.00	0.00
18	पिछड़ा वर्ग हेतु वेंचर कैपिटल फंड	20.00	20.00
19	पीएम दक्ष योजना ओबीसी घटक	40.00	35.02
20	डीएनटी/एन/एसएन (सीड) के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्कीम	50.00	0.21
21	सूचना, निगरानी मूल्यांकन तथा सामाजिक अंकेक्षण	25.00	17.82
	विभाग की सभी स्कीमों का कुल	**10100.62**	**7332.75**

******